सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14.05.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की चौथी बैठक के कार्यवृत्त।

सुश्री उमा भारती, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता मेंनदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की चौथी बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिनांक 14.05.2015 को 11.00 बजे आयोजित की गई। प्रो० संवर लाल जाट, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण; श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन, बिहार सरकार; श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई, उत्तर प्रदेश सरकार; श्री विजय शिवतारे. माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, महाराष्ट्र सरकार; श्री रामचंद्रु तेजावत, तेलंगाना सरकार के कैबिनेट मंत्री पद के विशेष प्रतिनिधि; श्री राम प्रताप, माननीय जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न सदस्यों/प्रतिनिधियों और संगठनों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-I** में रखी गई है।

प्रारंभ में माननीय मंत्री, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण ने विशेष समिति की बैठक के सदस्यों और प्रतिभागियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई और घरेलू जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए, अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल को ले जाने के लिए नदियों का अंतर्योजनआवश्यक था, जो सभी क्षेत्रों में लोगों के जीवन में समृद्धि पैदा करेगा। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार सभी राज्य सरकारों की सर्वसम्मति और सहयोग के साथ ही पर्यावरण, सामाजिक और पारिस्थितिक पहलुओं को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए पर्यावरण, वन्यजीव और वन आदि से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियां प्रसंस्करण के उन्नत चरण में थीं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी वैधानिक स्वीकृतियों के साथ, इस वर्ष के अंत तक सरकार केन-बेतवा लिंक परियोजना की वास्तविक निष्पादन शुरू कर पाएगी।

माननीय मंत्री महोदया ने आगे बताया कि दमांगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आगे की कार्रवाई में गतिशीलता लाने के लिए उन्होंने 7 जनवरी 2015 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने उल्लेख किया कि महानदी-गोदावरी लिंक के अंतर्गत मणिभद्रा जलाशय के बड़े जलमग्न को देखते हुए, रा.ज.वि.अ. ने एक.....

..... अप्रैल, 2015 में ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर संभाव्यता प्रतिवेदन/ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी के लिए काम रा.ज.वि.अ. द्वारा किया जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के वैकल्पिक प्रस्तावों पर ओडिशा के प्रतिनिधिमंडल के साथ 7 मई, 2015 को दिल्ली में भेंट की थी। माननीय मंत्री ने बताया कि नदियों के बीच में जोड़ने के लिए विशेषज्ञों का एक कार्यबलजल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है, जो विशेष परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के बीच तेजी से आम मतैक्यतास्थापित करने और नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विशेष समिति की सहायता करेगा।

जल संसाधन राज्य मंत्री, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रमों के प्रत्येक चरण पर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों का अंतर्योजन , लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर और 34000 मेगावॉट जल उत्पादन के सिंचाई लाभ के साथ अन्य लाभ जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, सूखा शमन, नौपरिवहन, जल आपूर्ति आदि प्रदान करेगा। उन्होंने गौर किया कि नदियों के कार्यक्रमों को जोड़ने के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों के सहयोग की आवश्यकता थी, जो राष्ट्र को समृद्ध करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के जल बंटवारे और कार्यान्वयन के समझौते के संबंध पर पार-तापी-नर्मदा लिंक के डी.पी.आर. पूरा होने के बाद चर्चा की जाएगी, जो कि अंतिम चरण में था।उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) की तैयारी के कार्य को पूरा करने और नदियों के बीच में जोड़ने से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के अध्ययन के लिए रा.ज.वि.अ. को सहायता प्रदान करें।

तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि श्री रामचंद्र तेजावत ने उल्लेख किया कि तेलंगाना राज्य ने नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रमों का पूरी तरह से समर्थन किया है। उन्होंने अनुरोध किया कि गोदावरी और कृष्णा बेसिनोंमें विभिन्न व्यपवर्तन बिंदुओं पर जल संतुलन स्थापित करने के लिए, उनके राज्य द्वारा नियोजितसभी परियोजनाओं पर विचार करते हुए पुन: अध्ययन किया जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि एक बार गोदावरी बेसिन में विभिन्न बिंदुओं पर जल के संतुलन को नए अध्ययनों के आधार पर स्थापित किए जाने पर तेलंगाना राज्य जल की मात्रा के बारे में विचार करेगा जो कि गोदावरी बेसिन के बाहर दक्षिण की ओर स्थानान्तरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने हैदराबाद में नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की बैठक का आयोजन करने के लिए माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) का अनुरोध किया।

राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री राम प्रताप ने कहा कि राजस्थान एक सूखा प्रभावित राज्य है और जल संसाधन पर विचार करने के लिए लाभ-लागत (बीसी) अनुपात के नियमों को शिथिल करने का अनुरोध किया।

उन्होंने अनुरोध किया कि बीसी अनुपात को काम करने की विधि को सूखा प्रवण क्षेत्रों में विशेष रूप से जल की उपलब्धता/कमी के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि शारदा-यमुना और यमुना-राजस्थान लिंक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि राजस्थान राज्य को जल के अभाव वाले क्षेत्रों में लाभ मिले।

बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम बिहार के लिए बहुत लाभकारी था क्योंकि बिहार का आधा हिस्सा हर साल बाढ़ से पीड़ित जबकि अन्य आधे सूखे से पीड़ित थे। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि सभी नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, चाहे वह अंतरा-राज्य या अंत:राज्यीयहो। उन्होंने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा संपूर्ण बिहार के 2 अंतरा-राज्यलिंकपरियोजनाओं के डी.पी.आर. केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी मूल्यांकन के अधीन थे। उन्होंने अनुरोध किया कि नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के डी .पी.आर. के मूल्यांकन में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय जल

आयोग (केंद्रीय जल आयोग), राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (रा.ज.वि.अ.) और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलकर एक समूह का गठन किया जाए। बीसी अनुपात में काम करने के लिए कार्यप्रणाली के बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि बाढ़ के नुकसान में कमी जैसी परियोजनाओं से अन्य लाभों को भी बीसी अनुपात गणना में और मात्रा में लिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि परियोजनाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया एक एकल खिड़कीनिकासी प्रणाली को अपनाते हुए सुव्यवस्थित बनाई जानी चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य सरकार के माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री श्री विजय शिवतारे ने बताया कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक महाराष्ट्र से संबंधित दो लिंक परियोजनाएं थीं। उन्होंने गौर किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंककी योजना ग्रेटर मुंबई में घरेलू जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए बनाई गई थी और इस प्रकार यह उनके राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक परियोजना थी। उन्होंने अनुरोध किया कि इस परियोजना को कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परियोजना के रूप में माना जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही माननीय केंद्रीय मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर को एक पत्र भेजा है, जो दर्शाता है कि महाराष्ट्र सरकार पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रस्ताव से सहमत हो सकती है, बशर्ते कि महाराष्ट्र को 300 एमसीएम जल गिरना उप-बेसिन में स्थानांतरित करने की अनुमति हो और महाराष्ट्र के जलग्रहण क्षेत्र के शेष जल का उपयोग पार-तापी-नर्मदा लिंक के द्वारा गुजरात में उपयोग किया जाए जिसकी तापी बेसिन में कहीं और क्षतिपूर्ति की जाएगी।

श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय सिंचाई राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने उल्लेख किया कि उनके राज्य ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए उपरोक्त 2629 हेक्टेयर में 1441 हेक्टेयर भूमि की पहचान की थी और अन्य भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी । उन्होंने अनुरोध किया कि केन-बेतवा लिंक.....

.....परियोजना सभी हितधारकों तक पहुंच सकता है।

इसलिए, विशेष समिति के अध्यक्षकी अनुमति के साथ, रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक और सदस्य सचिव ने चर्चा के लिए कार्यसूची मदप्रस्तुत की।

मद सं. 4.1: नई दिल्ली में 19.03.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 31.3.2015 के पत्र के माध्यम से वितरित किए गए थे। प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी), तमिलनाडु ने 11-5-2015 के पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणियां प्रेषित कीं और 'मदसं. 3.7 : अंतर राज्य लिंक की स्थिति'के तहत निम्नलिखित को जोड़ने का सुझाव दिया।

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पोन्नैयार-पालर लिंक को नहीं लिया जा सकता क्योंकि पोन्नैयारबेसिन में कोई अतिरिक्त जल नहीं है। हालांकि तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने बताया कि नदी के कर्नाटक-तमिलनाडु

की सीमा पार करने के बाद यह प्रस्तावित लिंकपोन्नैयार नदी से लिया जाता है और इसका ऊपरी तटवर्तीय राज्य कर्नाटक पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कर्नाटक सरकार से उनकी टिप्पणी प्रेषित करने का अनुरोध किया, जिसे तमिलनाडु को उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए भेजा जाएगा। बैठक में इस सुझाव पर सहमति हुई थी।

कार्यवृत्त पर कोई अन्य टिप्पणी समिति के किसी भी अन्य सदस्य से प्राप्त नहीं हुई थी।

तमिलनाडु सरकार की उपरोक्त टिप्पणियों को सम्मिलित करने के साथ बैठक के कार्यवृत्त की समिति द्वारा पुष्टि की गई।

मद सं. 4.2 : पिछली बैठक में किए गए निर्णयों पर कार्रवाई का पालन करना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.ने बताया कि जैसा कि तीसरी बैठक में निर्णय लिया गया था , केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अधीन आम-मतैक्यता स्थापित करने पर उप-समिति (जिसे पूर्व में उप-समूह के नाम से जाना जाता था) की बैठक 17 अप्रैल, 2015 को संख-दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल-सुबर्णरेखा, झारखंड की अंतरा-राज्य लिंक प्रस्तावों और एनपीपी के नेत्रावती-हेमावती और बेदती-वरदा लिंक परियोजनाओं पर चर्चा करने हेतु आयोजित हुई थी। झारखंड , ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। यह निर्णय लिया गया था कि संख-दक्षिण कोयल, दक्षिणकोयल-सुबर्णरेखा अंतरा-राज्य लिंक के लिए;महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. के अधीन मुख्य अभियंता, एचएसओ और मुख्य अभियंता आईएमओके साथएक समूह का गठन उन मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जाएगा।

कर्नाटक 2 महीने की अवधि के भीतर नेत्रावती नदी के जल के उपयोग की योजना रा.ज.वि.अ. को प्रदान करेगा। बेदती-वरदा लिंक के लिए कर्नाटक सरकार एक महीने की अवधि के भीतर रा.ज.वि.अ. द्वारा दिए गए ईआईए अध्ययन के मसौदा संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करेगी। विशेष समिति के सदस्य डॉ महाराज के. पंडित ने पिछले सात वर्षों से कर्नाटक सरकार के साथ लंबित बेदती-वरदा लिंक के ईआईए अध्ययन के लिए टीओआर के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं. 4.3 : नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की स्वीकृति के साथ गठित विभिन्न उप - समितियां

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने समिति को सूचित किया कि पहली बैठक में नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति द्वारा तय किए अनुसार, 13 मार्च, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयने तीन उप-समितियों का गठन किया था, अर्थात,(i) नदियों के अंतर्योजन के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति**(उप समिति-I)**;(ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति**(उप समिति II);**तथा(iii) रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति**(उप समिति-III)**।यह सूचित किया गया था कि अभी तक उप-समिति-I और II ने 3 बैठकें की थी और उप-समिति-III ने 2 बैठकें की थीं।

रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति के अध्यक्ष श्री एम. गोपालकृष्णन ने अनुरोध किया कि कार्य की मात्रा और अन्य प्रासंगिक मुद्दों को देखते हुए उनकी समिति का कार्यकाल 3-4 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। समिति ने उनके अनुरोध पर विचार किया और दो महीने तक उनकी उप-समिति के कार्यकाल कोविस्तारित करने का निर्णय लिया।

मद सं. 4.4 : नदियों के अंतर्योजन हेतु कार्यबल का गठन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि 24 जुलाई, 2014 को हुई बैठक में नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति के गठन की मंजूरी करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया था कि नदियों के अंतर्योजनसे संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को गठित किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की दिशा में अनुपालन में, 13 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आरडी एंड जीआर मंत्रालय ने श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, डब्ल्यूआर, डीआर और जीआर मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों के अंतर्योजन के लिए एक कार्यबल(नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल) का गठन किया है। कार्यबलका कार्यकाल 2 वर्ष अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, का है। कार्यबल के गठन के और विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाले कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति कार्यसूची के कार्यवृत्त में संलग्न की गई थी। कार्यबलनदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में नदियों का अंतर्योजनकी विशेष समिति और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयकी सहायता करेगा। कार्यबल की पहली बैठक 23 अप्रैल, 2015 को आयोजित की गई थी।

विशेष समिति की बैठक में;कार्यबलको सचिवीय सहायता से संबंधित,कार्यबल के अध्यक्ष के लिए उपयुक्त पदानुसार प्रशासनिक और वित्तीय सशक्तिकरणएवं अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा हुई।इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद,समिति ने माननीय मंत्री एवं नदियों का अंतर्योजनकी विशेष समिति के अध्यक्षको कार्यबलकी आवश्यकताओं के संबंध में इसके प्रभावी, निर्विघ्न और तेजी से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया।

मद सं. 4.5 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I- विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों की स्थिति

मद सं. 4.5.1 पर्यावरण मंजूरी

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने समिति को बताया कि परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई 23 दिसंबर और 27 सितंबर को छतरपुर जिले के सेलोन गांव और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हिनोता गांव में हुई थी। सार्वजनिक सुनवाई के विस्तृत कार्यवाही दस्तावेज एमपीपीसीबीद्वारा 13.4.2015 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं। नवीनतम अधिसूचनाओं, सार्वजनिक सुनवाई की टिप्पणियों एवं और अन्य विवरणों के कारण ईआईए अध्ययन प्रतिवेदन में परिशोधन/संशोधन 20 मई, 2015 तक पूरा होने की उम्मीद है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस मामले पर आगे की प्रक्रिया संसाधित कर रहा है।

मदसं. 4.5.2 वन्यजीव अनुमति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि वन्यजीव विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव निकासी के संबंध में एक संशोधित आवेदन निदेशक और मुख्य वन संरक्षक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना को 20.02.2015 को रा.ज.वि.अ. द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रा.ज.वि.अ. ने हाल ही में परियोजना की विभिन्न स्वीकृतियों पर सलाह देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सलाहकार के रूप में डॉ० राम गोपाल सोनी, सेवानिवृत्त सदस्य-सचिव, म०प्र० राज्य जैव विविधता मंडल, भोपाल को नियुक्ति किया है। राज्य सरकार के वन्यजीव विभाग के साथ रा.ज.वि.अ.इस मामले पर प्रबलता से कार्य कर रहा है। राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक जल्द ही आहूत की जाएगी।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं. 4.5.3 वन भूमि का हस्तांतरण

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि वन भूमि व्यपवर्तन अनुमति के लिए एक ऑनलाइन आवेदन 07.08.2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंप दिया गया था। रा.ज.वि.अ. ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) प्रमाणपत्र और जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (सीएटी योजना) के अनुमोदन के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सभी टिप्पणियों का अनुपालन किया है। मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर ने कुछ और स्थल विशेष जानकारी को इसमें सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

परियोजना पर प्रत्येक संबंधित ग्राम सभा ने परियोजना क्षेत्र में चर्चा की और पारित किया। संबंधित एसडीएम से ग्राम सभा प्रस्ताव प्राप्त होने पर छतरपुर के जिलाधीश द्वारा एफआरए प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं. 4.6 : केन-बेतवा लिंकपरियोजना चरण-2 के डी.पी.आर. की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-2 के तहत निचले ओर बांध की वन मंजूरी के लिए आवेदन 02.10.2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयको ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था। निचला ओर बांध के जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (सीएटी योजना) को छोड़कर वन स्वीकृति के लिए प्रपत्र-I पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सभी ऑनलाइन टिप्पणियों का अनुपालन पूरा किया गया है। संशोधित सीएटी योजना को मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी और अशोक नगर, म०प्र०की स्वीकृति हेतु सौंप दिया गया है। यह सूचित किया गया था कि मुख्य वन संरक्षक, अशोक नगर और शिवपुरी और रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों द्वारा निचला ओर के तहत सीएटी के लिए एक क्षेत्र के स्थान की पुष्टि हेतु एक संयुक्त निरीक्षण 8.4.2015 को किया गया था। निचला ओर बांध का ईआईए प्रतिवेदन तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित द्वारा अनुमोदित टीओआर के अनुसार तैयार किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित नहर के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित जानकारी प्रदान की जाए।ईआईए अध्ययन पूरा होने के बाद, सार्वजनिक सुनवाई

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं. 4.7 : दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना का डी.पी.आर. पूरा कर लिया गया है और अप्रैल, 2014 में महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों को प्रस्तुत किया गया था। ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसी जीएम) ने केंद्रीय जल आयोग को परियोजना का डी.पी.आर.मूल्यांकन के लिए जनवरी, 2015 में सौंप दिया था। डी.पी.आर.केंद्रीय जल आयोगके मूल्यांकन के अधीन हैं। माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने 7 जनवरी 2015 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस परियोजना के संबंध में आगे की कार्रवाई की गति बढ़ाने के लिए बैठक की। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.ने उल्लेख किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना का डी.पी.आर.तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में था और इस लिंक परियोजना के डी.पी.आर. जून 2015 तक पूरा होने की उम्मीद थी। पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डी.पी.आर. पूरा होने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य दोनों लिंकपरियोजनाओं में जल के साझाकरण के संबंध मेंसमझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित होने का प्रस्ताव है, जो इन लिंकपरियोजनाओं के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

जल संसाधन राज्य मंत्री, माननीय राज्य मंत्री का.....

……कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं को एक साथ लिया जाना चाहिए।

मद सं. 4.8 : महानदी-गोदावरी लिंकका वैकल्पिक अध्ययन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि रा.ज.वि.अ. ने महानदी-गोदावरी लिंककासंभाव्यताप्रतिवेदन तैयार किया था, जो ओडिशा में महानदी नदी पर प्रस्तावित मणिभद्रा बाँधसे लेकर आंध्र प्रदेश में दौलेश्वरम बैराज से कुछ ऊपर की तरफ गोदावरी नदी में सम्मिलित हो रहा है।मणिभद्राजलाशय की बड़ी जलमग्नता को देखते हुए, रा.ज.वि.अ. ने दो परिदृश्यों में वैकल्पिक अध्ययन किया है: -

विकल्प-अ :

इस प्रस्ताव में मणिभद्राऔर बड़मुल में महानदी के प्रत्येक ओर एक बैराज की परिकल्पना की गई है; मणिभद्रा बांध से ले जाने के लिए महानदी-गोदावरी लिंक; महानदी (बड़मुल)-रुशिकुल्या अंतरा-राज्य लिंक और तेल उप-बेसिन में दो जलाशय। रा.ज.वि.अ.के प्रारंभिक अध्ययन के अनुसारयहपरियोजना प्रस्ताव, 1058 क्यूमैक्स की बाढ़ के परिनियमन की सुविधाके अलावा ओडिशा में लगभग 3.00 लाख हेक्टेयर में सिंचाई लाभ, घरेलू और औद्योगिक जल की आवश्यकतानुसार 849 मेगावॉट की जलविद्युतप्रदान करेगा। गोदावरी बेसिन में यह लिंक लगभग 4500 एमसीएम जल देगा।

विकल्प-ब :

इस विकल्प में महानदी नदी पर बड़मुल में एक बैराज की परिकल्पना की गई है ,महानदी (बड़मुल)-गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक एवं और तेल उप-बेसिनमें 5 जलाशय।रा.ज.वि.अ. द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययन के अनुसार यह परियोजना प्रस्ताव,मार्गस्थ कमान क्षेत्र में घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति, 1039 मेगावॉटकी जल विद्युत और 1108 क्यूमेक्स बाढ़ का परिनियमन प्रदान करने के अलावा ओडिशा में 3.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई लाभ प्रदान करेगा। यह लिंकपरियोजना 4000 एमसीएम जलके गोदावरी बेसिन की ओर मोड़ने में सक्षम होगा।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे उल्लेख किया कि महानदी-गोदावरी लिंक के ऊपर दिए गए दो वैकल्पिक प्रस्तावों पर 6 अप्रैल, 2015 को भुवनेश्वर में प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों,जल संसाधन विभाग,ओडिशा सरकार के साथ चर्चा हुई। रा.ज.वि.अ. और जल संसाधन विभाग,ओडिशा के अधिकारियों, ने मणिभद्रा और बड़मुल बैराज के परियोजना स्थलों का दौरा किया। यह सूचित किया गया कि माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने 7 मई 2015 को ओडिशा के माननीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वैकल्पिक अध्ययन के बारे में चर्चा की थी। ओडिशा सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार चयनित विकल्पों के प्रस्तावों की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता स्थापित करने के लिए रा.ज.वि.अ.संभाव्यताप्रतिवेदन तैयार करना आरंभ करेगा।

माननीय केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने ओडिशा सरकार के साथ चर्चा के लिए महानदी-गोदावरी लिंक को लेने हेतु कार्यबल के अध्यक्ष से अनुरोध किया था।

तेलंगाना के विशेष प्रतिनिधि श्री रामचंद्र तेजावत ने महानदी के जल को गोदावरी की ओर मोड़ने की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया, जो गोदावरी में दौलेश्वरम बैराज के ऊपर की तरफ जा सकता है।

मद सं. 4.9 : अंतः राज्जीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि रा.ज.वि.अ. को 9 राज्यों से 46 अंतः राज्जीय लिंकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 35 अंतः राज्जीय लिंक प्रस्तावों की पूर्व संभाव्यताप्रतिवेदनपूरे किए जा चुके हैं। कुछ प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में संभव नहीं पाए गए हैं। बिहार के 2 लिंकों के डी.पी.आर. पूरा हो चुके हैं और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा राज्यों में से प्रत्येक के एक डी.पी.आर. प्रगति पर हैं।

माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार ने उल्लेख किया कि बिहार के दो अंतः राज्जीय लिंकों के डी.पी.आर.; (i) बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा और (ii) कोसी-मेची,केंद्रीय जल आयोग द्वारा मूल्यांकन के अधीन थे और उन्होंने इसमें तेजी लाए जाने का अनुरोध किया।

आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि अंतः राज्जीय लिंक परियोजनाओं का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।

डॉ० महाराज के. पंडित ने उल्लेख किया कि नदियों के प्रवाह की पर्यावरण और पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए नदियों में जल प्रवाह को बनाए रखा जाना चाहिए। सुश्री सयाली जोशी ने बताया कि नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं की योजना के दौरान जलीय जीवन में दो नदियों के जल के मिश्रण के प्रभाव के बारे में ध्यान रखना चाहिए। श्री ए.डी. मोहिले ने जल संसाधन परियोजनाओं के नियोजन में पर्यावरण प्रवाह के बारे में प्रावधानों को स्पष्ट किया।

मद सं. 4.10 : अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

माननीय मंत्री (डब्लूआर, आरडी एंड जीआर) ने अपने समापन टिप्पणियों में उल्लेख किया कि विशेष समिति की बैठकें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा में आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कार्यबल के अध्यक्ष एवं विभिन्न उप-समितियों के अध्यक्षों से उन्हें सौंपे गए कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में सभी संबंधित राज्यों के विचारों/टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री को आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय.....

……पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में .....

माननीय मंत्री (डब्लूआर, आरडी और जीआर) ने सदस्य सचिव को सुझाव दिया कि ऐसे सदस्योंजो बाद की तिथि में समिति में सम्मिलितहुए हैं के हितार्थ, अभी तक आयोजित नदियों के अंतर्योजनपर जल मंथन के दौरान विचार-विमर्श तथा विशेष समिति की बैठकों के अभिलेख उन्हें प्रदान किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

- **** -

अनुलग्नक-I

नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की
दिनांक 14.05.2015 को आयोजित चौथी बैठक के सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची

1.	सुश्री उमा भारती, माननीय केंद्रीय मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	प्रो० संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
4.	डॉ० राम प्रताप, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	श्री रामचंद्रु तेजावत, कैबिनेट मंत्री स्तरीय विशेष प्रतिनिधि, तेलंगाना सरकार	माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना का प्रतिनिधित्व
6.	श्री विजय शिवतारे, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
8.	श्री ए.बी. पंडया, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री नरेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, शहरी विकास,रा.रा.क्षेत्र दिल्ली की सरकार	सदस्य
10.	श्री प्रकाश उन्हले, अपर आवास आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार	प्रमुख सचिव (जल संसाधन विभाग), मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व
11.	श्री अजिताभ शर्मा, सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
12.	श्री एन.एस. पलानियप्पन, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, तमिल नाडु सरकार, चेन्नई	सदस्य
13.	सुश्री टिंकू विस्वाल, सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार, तिरूवंतपुरम	सदस्य

14.	श्री श्रीराम वैदिरे, सामाजिक कार्यकर्ता, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
15.	सुश्री सयाली संदीप जोशी, सीईओ, एसईआरआई, पुणे एवं सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
16.	श्री विपिन कुमार, आवास आयुक्त बिहार सरकार, नई दिल्ली	मुख्य सचिव, जल संसाधन, बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व
17.	प्रो० महाराज के. पंडित, निदेशक, सीआईएसएमएचई, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
18.	श्री विराग गुप्ता, सदस्य, कार्यबल, नदियों का अंतर्योजन एवं सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
19.	श्री एम् बंगरा स्वामी, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व
20.	श्री आर.वी. पांसे, प्रमुख अभियंता एवं संयुक्त सचिव,जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व
21.	श्री जयंत पवार, प्रमुख अभियंता (एमजीबी), जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व
22.	श्री राजीव वर्मा, प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार, नई दिल्ली	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व
23.	श्री के.बी. राबदिया, प्रमुख अभियंता (एस.जी.) एवं अपर सचिव, नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति एवं कल्पसार विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व
24.	श्री डी. रामा कृष्णा, प्रमुख अभियंता (आईएसएण्डडब्ल्यूआर), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	प्रमुख सचिव (पी), सिंचाई एवं सीएडी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
25.	श्री पी.के. अग्रवाल, सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग	श्री बी.बी. गोयल, प्रमुख सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का प्रतिनिधित्व
26.	श्री ए.के. सिन्हा, ओएसडी, झारखंड सरकार, नई दिल्ली	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व

27.	श्री पी.एल. नरसिम्हा, ओएसडी, पुदुचेरी सरकार, नई दिल्ली	माननीय मुख्य मंत्री, पुदुचेरी सरकार का प्रतिनिधित्व
28.	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.	सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार,
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,एवं
   अध्यक्ष, कार्यबल, नदियों का अंतर्योजन

2. प्रो० पी.बी.एस. शर्मा, से.नि. प्रोफेसर,
   सीईडी, आईआईटी, दिल्ली एवं
   अध्यक्ष, उप-समिति-II, विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन

3. श्री एम. गोपालकृष्णन,
   पूर्व महासचिव, आईसीआईडी एवं
   अध्यक्ष, उप-समिति-III, विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन

4. श्री ए.डी. मोहिले
   पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग एवं
   समूह अध्यक्ष, अंतरा-राज्य लिंक

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकारी

1. डॉ० अमरजीत सिंह,
   अपर सचिव, भारत सरकार
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

2. डॉ० बी. राजेंदर,
   संयुक्त सचिव (पीपी),
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

3. श्री एस.के. कोहली,
   संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार,
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

4. श्री प्रदीप कुमार,
   आयुक्त (एसपी)
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

5. श्री बी.के. पांडा,
   मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएसडी

6. श्री समीर वर्मा,
   माननीय मंत्री के निजी सचिव,
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

7. श्री श्याम विनोद मीना,
   माननीय राज्य मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
   जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली के निजी सचिव

8. श्री एस.के. गंगवार,
   वरि. संयुक्त आयुक्त (बीएम),
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

9. श्री शिव कुमार शर्मा,
   वरि. संयुक्त आयुक्त (पीपी),
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

10. श्री असित चतुर्वेदी,
    उपायुक्त (बीएम),
    जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

राज्य सरकारों के अधिकारी

1. श्री आर. सुब्रमणियन,
   अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू,
   जल संसाधन विभाग,
   तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

2. श्री इंदु भूषण कुमार,
   प्रमुख अभियंता,
   योजना एवं निगरानी, जल संसाधन विभाग,
   बिहार सरकार, पटना

3. श्री के. संभामूर्ति,
   प्रमुख अभियंता (आईएण्डएफ),
   क्षेत्र-II, रा.रा.क्षेत्र की दिल्ली सरकार

4. श्री अनिल कुमार धामा,
   प्रमुख अभियंता (दक्षिण),
   उ०प्र० सिंचाई, लखनऊ

5. श्री ए.के. गुप्ता,
   अधीक्षण अभियंता (योजना)जल,
   दिल्ली जल मंडल, दिल्ली

6. श्री एस.सी. शर्मा,
   अधीक्षण अभियंता,
   सिंचाई विभाग, उ०प्र० सरकार, झांसी

7. श्री डी.सी. जैन,
   कार्यपालन अभियंता (एमजीबी), जल संसाधन विभाग,
   छत्तीसगढ सरकार, रायपुर

8. श्री योगेश मित्तल,
   कार्यपालन अभियंता (एन),
   जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

9. सुश्री अंजू निमसरकर,
   महाराष्ट्र सरकार

10. श्री बी. जीवन बाबू,
    ओएसडी, तेलंगाना सरकार

11. श्री अमृत गठोलके,
    माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन विभाग के निजी सचिव,

12. श्री एच.एन. बसावलगी,
सहायक कार्यपालन अभियंता, डब्ल्यूआरडीओ,
कर्नाटक सरकार, बैंगलुरू

13. श्री डी. शंकरा राव,
उप कार्यपालन अभियंता,
आईएसएण्डडब्ल्यूआर, आंध्र प्रदेश सरकार

14. श्रीमती सरोज शर्मा,
संपर्क अधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, नई दिल्ली

15. मो० खालिद,
सहायक अभियंता,
दिल्ली जल मंडल, दिल्ली

रा.ज.वि.अ.के अधिकारी

1. श्री आर.के. जैन,
मुख्य अभियंता (मु०),
नई दिल्ली

2. श्री एम.के. श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
हैदराबाद

3. श्री एन.सी. जैन,
निदेशक (टेक.),
नई दिल्ली

4. श्री के.पी. गुप्ता,
अधीक्षण अभियंता,
नई दिल्ली

5. श्री एम.पी. गुप्ता,
निदेशक (वित्त),
नई दिल्ली